

रा.रा. न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, गवालियर, कैम्प, इन्दौर
के समक्ष

1. सोमजी पिता बोन्दरजी कुलमी,
 आयु लगभग 91 वर्ष, धंधा—खेती,

2. मनोज पिता राधेश्यामजी कुलमी
 आयु लगभग 40 वर्ष, धंधा—खेती,
 निवासी— कुक्षी, तहसील कुक्षी,

.....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. गोपाल पिता देवजी कुलमी
 आयु लगभग 75 वर्ष, धंधा—खेती,

2. पुरुषोत्तम पिता देवजी कुलमी
 आयु लगभग 72 वर्ष, धंधा—खेती,

3. शंकर पिता देवजी कुलमी
 आयु लगभग 70 वर्ष, धंधा—खेती,

4. गंगाराम पिता देवजी कुलमी
 आयु लगभग 67 वर्ष, धंधा—खेती,

5. कैलाश पिता देवजी कुलमी
 आयु लगभग 64 वर्ष, धंधा—खेती,

6. सीताराम पिता देवजी कुलमी
 आयु लगभग 55 वर्ष, धंधा—खेती,

7. दिनेश पिता देवजी कुलमी
 आयु लगभग 50 वर्ष, धंधा—खेती,

8. महेश पिता देवजी कुलमी
 आयु लगभग 45 वर्ष, धंधा—खेती, सभी निवासी कुक्षी

9. केशरबाई पिता देवजी पति जगदीश कुलमी,
 आयु लगभग 50 वर्ष, धंधा—खेती व गृहकार्य निः ० छालमुकाम निसर्पुर

10. सुमनबाई पिता देवजी कुलमी पति जगदीश कुलमी,

आयु लगभग 46 वर्ष, धंधा—खेती व गृहकार्य
 निवासी— कुण्डीया, तहसील बड़वानी

.....विपक्षीगण

[Signature]

R. २४१७- PBR/16 दर्ता
सोमनी / गोपल

16-8-2016

आवेदकगत के विलास अधिभासक
द्वारा ग्राम्यता पर प्रस्तुत तरफ पर विचार
किया गया। तदनीतिकार के आदेश दिनांक
21.6.2016 की सत्य प्राप्तिकीपि का अवलोकन
किया गया। तदनीतिकार द्वारा आवेदकगत
का आवेदन पन्न इस विषेष के लाज
निरस्त किया गया है कि अमावेदकगत
द्वारा भौपका लगाया गया है, जो
खुब्बा है, और उससे आवेदकगत
देकर द्वावी ले जो लकड़े हैं, जिसमें
पृथम दृष्टया कोई आवेद्यार्थिकता
परिवासीन होने से निगरानी
अग्रह्य की जाती है।

अधिकारी

अधिकारी

—2—

पुनरीक्षण / निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र., भू-राजस्व संहिता

श्रीमान न्यायालय तहसीलदार, तहसील कुक्सी, जिला धार (म.प्र.)
द्वारा प्रकरण क्रमांक रा.प्र.क्र.04/अ-13/2014-15 में दिनांक
21/06/16 के निगरानीकर्ता के आवेदन को विपक्षीगण के पक्ष में
निराकृत किया होने से व्यथित होकर उक्त निगरानी निम्न आधारों पर
प्रस्तुत है :— आदेश दिनांक 21/06/16 की सत्य प्रतिलिपि संलग्न
अनुलग्नक आर-1,